कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)

e-mail:-nagarnigamrudrapur@gmail.com visit:-www.nagarnigamrudrapur.com

(दूरभाष– 05944–242400 फैक्स–05944–243316)

पत्रांकः– /कर अनु0/2024–25 दिनांक–

"ई–निविदा सूचना"

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि नगर निगम रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत वाहन पार्किंग ठेके शुल्क वसूली हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।

ठेके का विवरण

क्र. सं	कार्य का नाम	निविदा की तिथि	निविदा खोलने की तिथि व समय	जानकारी हेतु कक्ष/अनुभाग
1.	वाहन पार्किंग ठेके शुल्क वसूली निविदा	दि0 26.6.24 के 11:00 AM से दि0 5.7.24 के 11:30 AM तक	दि0 5.7.24 के 12:00 PM	कक्ष सं0–13

उपरोक्त ई–निविदायें http://uktenders.gov.in पर देखी जा सकती है। निविदाओं की नियम व शर्तों को नगर निगम की वेबसाइट www.nagarnigamrudrapur.com पर भी देखी जा सकती हैं।

नगर आयुक्त
नगर निगम रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

जिलाधिकारी/प्रशासक
नगर निगम, रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)

e-mail:-nagarnigamrudrapur@gmail.com visit:-www.nagarnigamrudrapur.com

(दूरभाष– 05944–242400 फैक्स–05944–243316)

पत्रांकः 828 कर अनु0/2024–25 दिनांक– 25/06/24

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु प्रेषित–

1. कार्यालय जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
2. कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
3. कार्यालय मुख्य कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
4. सम्पादक अमर उजाला एवं हिन्दुस्तान को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना को अपने दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 26.6.24 के अंक में न्यूनतम दरों में पठनीय भाग में प्रकाशित किये जाने एवं उक्त समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।
5. श्री तपन कुमार राय, कनिष्ठ सहायक सह डा.इ.आ. को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निविदा सूचना, निविदा शर्तें उत्तराखण्ड की वेबसाइट http://uktenders.gov.in व नगर निगम, रूद्रपुर की वेबसाइट www.nagarnigamrudrapur.com में अपलोड करना एवं निश्चित तिथि को निविदा कमेटी के समक्ष टेण्डर खोलना सुनिश्चित करें।
   उक्त विज्ञापन को 30% छूट के साथ प्रकाशित करें।
6. कार्यालय नगर निगम, रूद्रपुर ऊधमसिंह नगर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।

(शिप्रा जोशी पाण्डेय)
नगर आयुक्त
नगर निगम, रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

कार्यालय नगर निगम रूद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)

अस्थाई वाहन पार्किंग ठेके की शर्तें

1. नगर निगम, रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत पार्किंग का ठेका वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु होगा, जिसकी अवधि कार्यादेश जारी होने की तिथि से आरम्भ होकर 31.03.2025 तक के लिए होगी।
2. पार्किंग शुल्क वसूली हेतु निविदा प्रपत्र मु0 2000.00+18% GST सहित कुल रू0 2360.00 प्रति निविदा फार्म होगी जिसका डिमाण्ड ड्राफ्ट नगर आयुक्त नगर निगम रूद्रपुर के नाम से ऑनलाइन संलग्न करना होगा, उक्त ड्राफ्ट की मूलप्रति निगम कार्यालय में ई–निविदा खुलने से पूर्व जमा करनी होगी।
3. नगर निगम द्वारा पार्किंग के लिये न्यूनतम बोली की धनराशि अलग–अलग रखी गयी है, अतः पार्किंग हेतु अलग–अलग निविदा भी डाली जा सकती है।
4. पार्किंग स्थल पर नगर निगम रूद्रपुर का बोर्ड सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा।
5. सफल निविदाता / फर्म / ठेकेदार अन्य ठेकेदार को पार्किंग स्थल आवंटित नहीं करेगा।
6. ठेकेदार / फर्म को किसी भी नगर निकाय या अन्य सरकारी विभागों में सन्तोषजनक रूप से पार्किंग के ठेके का कार्य किये जाने सम्बन्धी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. नगर निगम द्वारा पार्किंग हेतु स्थलों की सूची उपलब्ध करायी जायेगी, अन्य व्यवस्थायें सम्बन्धित फर्म / ठेकेदार को स्वंय करनी होगी एवं व्यवस्था में जो भी व्यय होगा वो ठेकेदार को स्वंय वहन करना होगा।
8. तकनीकी निविदा के साथ, सक्षम प्राधिकारी (जिलाधिकारी / उपजिलाधिकारी) द्वारा प्रदत्त हैसियत प्रमाण पत्र (रू0 पच्चीस लाख मात्र), हैसियत प्रमाण पत्र छः माह से अधिक पुराना होने की दशा में निविदादाता इस आशय का शपथ पत्र देगा कि उसके द्वारा उक्त अवधि में अपनी सम्पत्ति को खुर्द–बुर्द नही किया गया है या टर्न ओवर प्रमाण पत्र (UDIN न0 सहित) 50,00,000.00 (रू0 पचास लाख मात्र) होना चाहिए। ई–निविदा खुलने से पूर्व सभी प्रपत्रों की प्रति नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा की दशा में निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
9. पार्किंग की निविदा में भाग लेने के इच्छुक फर्म / व्यक्ति को कार्यालय **जिलाधिकारी से निर्गत नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र निविदा के अनुसार आधार कार्ड व पैन कार्ड नगर निगम कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।**
10. प्रत्येक निविदादाता / ठेकेदार को निविदा के साथ ही अनुमानित निविदा राशि सारणी के अनुसार 03 प्रतिशत धरोहर धनराशि की एफ०डी०आर० जो कि नगर आयुक्त नगर निगम रूद्रपुर के पदनाम से बन्धक हो जमा करनी अनिवार्य होगी। बिना धरोहर धनराशि की निविदा किसी भी दशा में मान्य नही होगी। सफल निविदादाता द्वारा कार्य करने से मना किया जाता है तो उसकी निविदा प्रतिभूति को जब्त करते हुए ब्लैक लिस्ट की कार्यवाही जायेगी।
11. पार्किंग शुल्क वसूली वाली रसीद / डिजीटल माध्यम ठेकेदार द्वारा स्वयं अपने व्यय पर छपवाई जायेंगी, रसीद / डिजीटल पर्ची की काउण्टर प्रतिपर्ण (काउण्टर फॉईल) विवरण सहित अपने पास रखना आवश्यक होगा, जिसे विभागीय अधिकारी (नगर आयुक्त / उप नगर आयुक्त / सहा0 नगर आयुक्त / कर अधीक्षक / कर निरीक्षक) द्वारा मांगे जाने पर दिखाना अनिवार्य होगा।
12. सफल निविदादाता को निविदा धनराशि की 10 प्रतिशत जमानत राशि की एफ०डी०आर० जो कि नगर आयुक्त, नगर निगम रूद्रपुर के पदनाम से बन्धक हो, जमा करनी अनिवार्य होगी।

जिन्दगी चुनों, तम्बाकू नहीं।

13. सफल निविदादाता को निविदा धनराशि की 10 प्रतिशत जमानत राशि की एफ०डी०आर० जो कि नगर आयुक्त, नगर निगम रूद्रपुर के पदनाम से बन्धक हो, जमा करनी अनिवार्य होगी।
14. निविदा की वैधता अवधि निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि से 120 (एक सौ बीस) दिन की होगी।
15. निविदा टू-बिड रूप में आमंत्रित की जाती है जोकि तकनीकी बिड व वित्तीय बिड अलग-अलग लिफाफे में देनी होगी। निविदादाता को निविदा के लिफाफे पर कार्य का नाम व फर्म का नाम लिखना अनिवार्य होगा।
16. तकनीकी बिड के लिफाफे पर "पार्किंग के लिए तकनीकी निविदा" एवं वित्तीय निविदा के लिफाफे पर "पार्किंग के लिए वित्तीय निविदा" लिखा होना अनिवार्य है।
17. निर्धारित/अनुमानित निविदा राशि से न्यूनतम दरें स्वीकार नहीं की जायेगी।
18. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
19. तकनीकी निविदा के साथ निम्नलिखित व अन्य वांछित दस्तावेज संलग्न करने अनिवार्य होगे)
    A. कम्पनी/फर्म के रजिस्ट्रेशन की स्वसत्यापित छायाप्रति।
    B. पैनकार्ड की स्वसत्यापित छायाप्रति।
    C. सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार को किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों में ब्लैक लिस्टेड न होने का प्रमाण पत्र जो कि रू० 10/- स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
    D. अनुमानित निविदा राशि के अनुसार 3 प्रतिशत धरोहर धनराशि की FDR (सारणी के अनुसार) संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा निविदा शर्त सं0-4 के अनुसार अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
    E. तकनीकी बिड डॉक्यूमेंट्स के प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म की मोहर के साथ हस्ताक्षर होना अनिवार्य होगा।
    F. शर्त सं0-06 के अनुसार नवीनतम (छः माह) चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
20. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
21. फर्म/ठेकेदार को नगर निगम रूद्रपुर का कोई बकायादार न होने का शपथपत्र के साथ अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों द्वारा घोषित ब्लैक लिस्टेड फर्म/ठेकेदार एवं बकायादार को निविदा में प्रतिभाग करने की अनुमति नहीं होगी।
22. फर्म की स्थिति में फर्म का पंजीकरण एवं पंजीकरण/पंजीकृत पार्टनरशिप डीड तथा पॉवर ऑफ अटॉर्नी प्रस्तुत करनी होगी। अन्य रूप में मान्य नहीं होगी।
23. सफल निविदादाता की निविदा स्वीकृत होने के 07 दिवस के भीतर नियमानुसार अनुबन्ध एवं रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही स्वंय के व्यय पर पूर्ण करनी होगी। जिस हेतु निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर (निवदिा राशि का 03 प्रतिशत) नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। ठेकेदार को अनुबन्ध एवं रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त पर्किंग वसूली का आदेश दिया जायेगा स्टाम्प शुल्क महानिरीक्षक निबन्धन उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अन्तर्गत निविदा राशि के 03 प्रतिशत की दर से देय होगा।
24. ठेके को स्वीकृत व अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, रूद्रपुर में निहित होगा।
25. दैवीय आपदा एवं अन्य किसी भी प्रकार से उत्पन्न लाभ-हानि एवं क्षति के लिए नगर निगम रूद्रपुर, उत्तरदायी नहीं होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी तथा आपदा की स्थिति में नगर निगम द्वारा समिति की गठन किया जायेगा उक्त गठित समिति की आख्या उपरान्त नगर आयुक्त द्वारा छूट हेतु अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

जिन्दगी चुनों, तम्बाकू नहीं।

26. पार्किंग शुल्क वसूली हेतु आवंटित ठेके की समस्त धनराशि की 02 किश्तों में जमा करनी होगी, जिसकी प्रथम किश्त फर्म/ठेकेदार द्वारा ठेका स्वीकृति के 07 कार्य दिवस के भीतर जमा करानी होगी तथा अन्य शेष धनराशि छः माह के अन्दर जमा करनी होगी, ऐसा न करने पर फर्म/ठेकेदार की धरोहर धनराशि जब्त करते हुए क्षतिपूर्ति की वसूली भू-राजस्व की भांति की जायेगी तथा फर्म/ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही भी की जायेगी एवं नगर निगम द्वारा द्वितीय उच्च दरों के निविदादाता को प्रथम उच्च निविदादाता की दरों पर ठेका देने अथवा ठेका पुनः करने की स्वतंत्रता होगी।
27. ठेके की स्वीकृत धनराशि पर जी०एस०टी०, आयकर एवं अतिरिक्त समस्त करो को ठेकेदार द्वारा स्वीकृत ठेके की धनराशि के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
28. संदिग्ध वाहन/वाहन चालकों की सूचना ठेकेदार द्वारा तत्काल पुलिस को दी जानी आवश्यक होगी।
29. उत्तराखण्ड राज्य के शासकीय वाहनों से ठेकेदार द्वारा कोई पर्किंग शुल्क नहीं लिया जायेगा।
30. फर्म/ठेकेदार द्वारा पार्किंग स्थल पर सफाई, प्रकाश तथा पीने के पानी एवं शौचालय आदि की व्यवस्था अपने व्यय पर स्वयं करना अनिवार्य होगा।
31. सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार को एन०जी०टी० मा० न्यायालयों, शासन प्रशासन द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशो/निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
32. सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की जमा धरोहर राशि को ठेके की सम्पूर्ण धनराशि जमा करने एवं ठेका अवधि समाप्त होने के उपरान्त ही अवमुक्त की जायेगी।
33. सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार द्वारा नियत तिथि पर धनराशि जमा न कराये जाने की दशा में रु० 1000/- का प्रति दिवस की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।
34. उपरोक्त शर्तों में किन्ही एक या समस्त शर्तों का उल्लंघन करने पर ठेका निरस्त करने की कार्यवाही के साथ-साथ नगर निगम एवं नागरिको व यात्रियों को होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति या अप्रिय स्थिति के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार का ही होगा तथा उसकी जमानत धनराशि जब्त करते हुए उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
35. मा0 न्यायालयों/शासन/प्रशासन द्वारा ठेके की अवधि में पार्किंग बन्द किये जाने पर सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार द्वारा कोई दावा नही किया जायेगा और न ही दावा मान्य होगा।
36. यातायात व्यवस्था के अन्तर्गत पुलिस प्रशासन द्वारा यदि वाहनों के आवागमन पर कोई रोक लगायी जाती है तो उससे हुई हानि की जिम्मेदारी नगर निगम रूद्रपुर की नहीं होगी तथा किसी भी प्रकार की शासन, प्रशासन (यातायात) सम्बन्धी स्वीकृति/अनुमति सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार द्वारा स्वयं लेनी होगी।
37. पार्किंग में खड़े वाहनों की सुरक्षा/वाहन चोरी होने आदि समस्त उत्तरदायित्व व किसी भी प्रकार की प्राकृतिक, अप्राकृतिक क्षति/चोरी दैवीय आपदा आदि की समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की ही होगी। उपरोक्त परिस्थितियों में वाहन मालिक कन्ज्यूमर फोरम अथवा अन्य मा० न्यायालयो मे वाद दायर कर सकता है, जिसमे पारित आदेश/निर्णय सम्बन्धित फर्म/ठेकदार को मान्य होगा।
38. ठेका अवधि के दौरान ठेकेदार की मृत्यु होने की दशा में यदि सम्बन्धित ठेकेदार का उत्तराधिकारी शेष अवधि तक ठेका रखना चाहता है तो ठेके की अवशेष धनराशि जमा करने के उपरान्त उनके द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र दिये जाने पर विचार किया जायेगा।
39. वाहन पार्किंग की दरें प्रत्येक 24 घटें अथवा पार्ट टाईम हेतु निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः-

जिन्दगी चुनों, तम्बाकू नहीं

क्र0स0	वाहनों के प्रकार	24 घण्टे हेतु पार्किंग शुल्क (रु)	5 घण्टे हेतु पार्किंग शुल्क (रु)
1.	लोडर चार पहिया से अधिक वाले वाहन।	100	50
2.	बस, ट्रक वाहन।	75	40
3.	ट्रैक्टर–ट्राली, टैंकर वाहन।	60	30
4.	कार, जीप वाहन।	45	25
5.	थ्री–व्हीलर/विक्रम/बैलगाडी, घोड़ा–तांगा वाहन।	30	20
6.	स्कूटर मोटर साईकिल वाहन।	20	10
7.	साईकिल वाहन।	10	5

40. यदि कोई व्यक्ति पूरे माह के लिये पार्किंग लेना चाहता है तो उसे निर्धारित शुल्क की आधी दरों पर माह का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् पार्किंग हेतु पास प्रदान किया जायेगा।
41. पार्किंग वसूली हेतु चयनित स्थल निम्नानुसार है–
    1. गाँधी पार्क के एन0एच0–87, के किनारे महाराजा रणजीत सिंह पार्क के कोने से होते हुए डी0डी0 चौक से होते हुए नगर निगम रैन बसेरे
    2. नैनीताल रोड पाल फोर्ड से अटरिया मोड़ तक
    3. गल्ला मण्डी खाटू श्याम मन्दिर के पास खाली भूमि
    4. मोदी मैदान के सामने किच्छा बाईपास रोड के किनारे
42. उक्त पार्किंग स्थलों पर निर्धारित दरों की सूची का बोर्ड अपने व्यय से लगाना होगा।
43. सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार द्वारा पार्किंग स्थल पर किसी भी प्रकार का मिट्टी खुदान व कच्चा पक्का निर्माण आदि नहीं किया जायेगा और न ही अन्य किसी को करने देगा।
44. सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार द्वारा बीच में पार्किंग का कार्य छोडने की दशा में उनके द्वारा जमा धरोहर व समस्त धनराशि जब्त करते हुए ठेके की पुनः नीलामी की जायेगी पुनः नीलामी में बोली कम आने पर यदि विभाग को क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार से भू–राजस्व की भांति की जायेगी।
45. यदि शासन/प्रशासन अथवा नगर निगम रूद्रपुर को लोक प्रयोजन हेतु बीच अवधि में ही पार्किंग स्थल की भूमि की आवश्यकता पडती है तो पार्किंग ठेकेदार को भूमि खाली करनी होगी जिसके लिए ठेकेदार को कोई क्षतिपूर्ति नगर निगम रूद्रपुर द्वारा नहीं दी जायेगी केवल ठेकेदार द्वारा जमा की गयी धनराशि में से खाली किये जाने तक की अवधि के अनुसार धनराशि का समायोजन किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।
46. सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार द्वारा उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लघंन करने पर ठेका निरस्त करने एवं उसकी धरोहर धनराशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम रूद्रपुर में निहित हैं।
47. निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व ठेकेदार कार्य स्थल का निरीक्षण कर लें बाद में कोई भी आपत्ति/क्लेम मान्य नहीं होगा।
48. निविदा खोलने की तिथि को अवकाश होने अथवा अन्य परिस्थिति की दशा में निविदा प्रक्रिया अगले कार्य दिवस में की जायेगी।
49. ठेकेदार को सुनिश्चित करना होगा कि वाहन पार्किंग स्थल पर ही खड़े हो तथा यातायात नियमों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

जिन्दगी चुनों, तम्बाकू नहीं।

50. उक्त ठेके से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर नगर आयुक्त, नगर निगम, रूद्रपुर का निर्णय अन्तिम होगा तथा न्यायिक मामलों में न्यायिक क्षेत्र रूद्रपुर ही होगा।

51. सफल निविदादाता द्वारा यदि अन्य किसी स्थल पर कोई पार्किंग शुल्क वसूलता है तो उस पर वैधानिक/प्रशासनिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

वाहन पार्किंग किये जाने हेतु चयनित स्थल

चयनित स्थल	साइज	निविदा राशि	धरोहर राशि
1. गाँधी पार्क के एन0एच0–87, के किनारे महाराजा रणजीत सिंह पार्क के कोने से होते हुए डी0डी0 चौक से होते हुए नगर निगम रैन बसेरे तक 2. गल्ला मण्डी खाटू श्याम मन्दिर के पास खाली भूमि	82038 वर्ग फिट 1050 वर्ग फिट	रू0 40,00,000.00	रू0 1,20,000.00
1. नैनीताल रोड पाल फोर्ड से अटरिया मोड़ तक 2. मोदी मैदान के सामने किच्छा बाईपास रोड के किनारे	34776 वर्ग फिट 16170 वर्ग फिट	रू0 30,00,000.00	रू0 90,000.00

वाहन पार्किंग ठेका वसूली ई–निविदा की निर्धारित Key Dates निम्नानुसार है:–

S.No	Schedule/ Information	Date	Time
1	Date of online publication	26.6.2024	11.00 AM
2	Documents download start date	26.6.2024	11.00 AM
3	Bid submission start date	26.6.2024	11.00 AM
4	**Pre Bid Conference Date**	—	**12.30 PM**
5	Bid submission End date	5.7.2024	11.30 AM
6	offline submission of hard/ original copy of documents End Date	5.7.24	11.30 AM
7	Bid Opening Date	5.7.24	12.00 PM

(चन्द्रजीत सिंह)
कर संग्रहकर्ता
नगर निगम रूद्रपुर

(लता आर्या)
कर अधीक्षक
नगर निगम रूद्रपुर

(जुबक मोहन सक्सेना)
वरिष्ठ वित्त अधिकारी
नगर निगम रूद्रपुर

(शिप्रा जोशी पाण्डेय)
नगर आयुक्त
नगर निगम रूद्रपुर

जिलाधिकारी/प्रशासक
नगर निगम रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर